भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 75

उत्तर देने की तारीख 20.07.2023

बकाया भुगतान

75. श्री ए. राजा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों का कुल बकाया भुगतान कितना है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कुल बकाया भुगतान प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र को क्या रियायतें और योजनाएं दी गई हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की विभिन्न यूनिटों को उनकी कार्यशील पूंजी के लिए बिना संपार्श्विक वितरित किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : शिकायतों को दर्ज करने और माल और सेवाओं के खरीददारों की ओर से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बकाया देय की निगरानी के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) आरम्भ किया गया है। संबंधित आवेदन को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद यह एक मामला बन जाता है। समाधान पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.04.2020 से 14.07.2023 तक एमएसई को देय कुल बकाया भुगतान इस प्रकार है:

करोड़ रु. में

वर्ष	**उन मामलों से संबंधित बकाया राशि जिनमें एमएसईएफसी द्वारा आवेदन को मामले में बदल दिया गया है (सुनवाई के विभिन्न चरणों में)** **(क)**	**लंबित आवेदनों में बकाया राशि (ख)**	**एमएसई को भुगतान हेतु कुल बकाया** **(ग)=(क+ख)**
01.04.2020-31.03.2021	3,050.75	1,052.18	4,102.93
01.04.2021-31.03.2022	2,954.43	1,676.77	4,631.2
01.04.2022-31.03.2023	2,544.75	2,601.92	5,146.67
01.04.2023-14.07.2023	279.91	1,497.08	1,776.99
कुल	8,829.84	6,827.95	15,657.79

(ख) : राज्य और संघ सरकारों की पब्लिक सेक्टर यूनिटों द्वारा बकायों के निपटान के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- माल और सेवाओं के खरीददारों की ओर से एमएसई को बकाया भुगतानों की निगरानी के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल लांच किया गया है।

- आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई घोषणाओं के पश्चात, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से एमएसई को बकाया और मासिक भुगतानों की रिपोर्टिंग के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर ही एक सब-पोर्टल का आरम्भ किया गया है।

- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिक संख्या में एमएसईएफसी गठित किए जाएं। अभी तक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक से अधिक एमएसईएफसी सहित 152 एमएसईएफसी का गठन किया जा चुका है।

- भारत सरकार ने सीपीएसई और 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को हिदायत दिया है कि वे स्वयं को ट्रेड रीसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम पर शामिल करें जो बहुसंख्य वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई को व्यापार प्राप्य छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफार्म है।

(ग) : देश में एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

देशभर में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि शामिल हैं।

(घ) : वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इस प्रकार की जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से एमएसएमई क्षेत्र को देय बकाया ऋण का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

****

अनुबंध-I

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई को देय बकाया ऋण (राज्य-वार)

बकाया राशि करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक
		बकाया राशि	बकाया राशि	बकाया राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	786.59	769.05	914.82
2	आंध्र प्रदेश	62,878.79	71,877.26	8,3162.34
3	अरुणाचल प्रदेश	906.96	1,014.15	1,091.71
4	असम	22,698.71	20,837.48	24,120.24
5	बिहार	33,303.92	34,002.47	40,029.60
6	चंडीगढ़	9,729.48	11,968.00	12,605.26
7	छत्तीसगढ	25,988.89	31,919.39	36,423.07
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,548.44	1,834.92	2,056.72
9	दिल्ली	1,08,796.40	1,30,604.29	1,39,553.03
10	गोवा	5,578.65	5,700.10	6,126.68
11	गुजरात	14,6872.76	1,85,075.74	2,11,808.82
12	हरियाणा	62,457.67	80,103.24	97,119.95
13	हिमाचल प्रदेश	9,830.08	11,665.19	13,683.43
14	जम्मू एवं कश्मीर	16,354.21	16,694.63	16,502.48
15	झारखंड	23,839.56	26,257.14	29,732.02
16	कर्नाटक	1,06,007.59	1,26,575.65	1,40,027.83
17	केरल	60,200.80	67,543.53	76,807.52
18	लक्षद्वीप	22.65	25.93	32.46
19	मध्य प्रदेश	63,009.09	72,347.61	83,396.88
20	महाराष्ट्र	3,52,894.81	3,39,446.16	3,80,301.18
21	मणिपुर	1,153.81	1,159.81	1,429.85
22	मेघालय	1,237.84	1,334.84	1,467.25
23	मिजोरम	697.14	705.42	735.25
24	नागालैंड	863.59	880.93	1,059.01
25	ओडिशा	36,311.11	39,905.15	45,128.43
26	पुडुचेरी	3,192.45	3,456.85	3,986.93
27	पंजाब	59,272.69	7,0967.23	80,893.45
28	राजस्थान	76,129.31	95,615.51	1,04,760.37
29	सिक्किम	813.04	808.66	970.95
30	तमिलनाडु	1,91,350.67	2,19,118.87	2,39,879.93
31	तेलंगाना	66,334.66	83,155.95	96,028.26
32	त्रिपुरा	3,116.69	2,168.20	2,340.35
33	उत्तराखंड	28,751.41	17,591.92	47,319.83
34	उत्तर प्रदेश	1,05,215.15	1,36,723.44	1,32,130.25
35	पश्चिम बंगाल	95,779.19	1,01,202.28	1,06,509.13
कुल		**17,83,924.80**	**20,11,056.98**	**22,60,135.28**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक